2017/00552
2018/00291

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 30/2017 (राजसमन्द आर्डर)

पदमसिंह पिता श्री चतरसिंह राजपूत, निवासी रान, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती प्रभा कंवर पत्नी योगजीत सिंह जी देवड़ा, निवासी गलथनी, तहसील सुमेरपुर, पोस्ट जवाई बांध, जिला पाली (राज.)
2. उप पंजीयक, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हुकमसिंह देवड़ा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. 2, 3

(2) प्रकरण संख्या 4/2018 (राजसमन्द आर्डर)

श्रीमती प्रभा कंवर पत्नी योगजीत सिंह जी देवड़ा, निवासी गलथनी, तहसील सुमेरपुर, पोस्ट जवाई बांध, जिला पाली (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. पदमसिंह पिता श्री चतरसिंह राजपूत, निवासी रान, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. उप पंजीयक, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री हुकमसिंह देवड़ा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. 2, 3

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
दिनांक 23.11.2017 प्र०सं० 73/2015

---/---

<u>**निर्णय**</u> <u>**दिनांक 28–09–2018**</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रभा कंवर द्वारा पदमसिंह व अन्य के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1, 2 एवं धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रान में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित आराजीयात कुल किता 11 रकबा 43 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 के पिता चतरसिंह के खातेदारी में अंकित थी, जिनका निधन दिनांक 24–05–2006 को हो गया। चतरसिंह की आराजियात में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है एवं इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, परन्तु विपक्षी संख्या 1 ने चतरसिंह की मृत्यु पर उक्त भूमियों का नामान्तरकरण अकेले के नाम करवा लिया, जबकि प्रार्थीया का विपक्षी संख्या 1 के समान ही हक अधिकार है। अतएवं मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उक्त भूमियों का जब तक प्रार्थीया के नाम 1/2 हिस्सा अंकित नहीं करवा दिया जावे तब तक विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमियों के किसी भाग का विक्रय हस्तान्तरण नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि चतरसिंह जी की मौरूसी होकर चतरसिंह जी व पदमसिंह कोपार्सनर थे, परन्तु कर्ता खानदान होने से उन्हीं के नाम खातेदारी हक से दर्ज रही। प्रार्थीया का कथित जमीन से कोई संबंध नहीं है तथा प्रार्थीया चतरसिंह की लड़की नहीं है एवं कुछ भूमाफियों से मिलकर चतरसिंह की लड़की बताकर गलत वाद पेश किया है। प्रार्थीया का कथित जमीन पर एक दिन भी कब्जा नहीं रहा एवं उसका विवाह 19 वर्ष पूर्व हो चुका है। चतरसिंह जी की मृत्यु होने पर विपक्षी संख्या 1 सोल कोपार्सनर

होने से तथा उसी का कब्जा होने से भूमि उसके नाम दर्ज हुई। प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 की सगी बहन नहीं है तो उसका कथित जायदाद से सम्बन्ध होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं है एवं प्रार्थीया चतरसिंह की लड़की ही नहीं है। इस कारण सुविधा के संतुलन का बिन्दु भी विपक्षी के पक्ष में है। विपक्षी संख्या 1 खातेदार एवं कब्जेदार है, जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या 1 को जलील व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 23—11—2017 से पदमसिंह का 1/2 हिस्सा छोड़ते हुए विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से पर जो कि पूर्व में अंतरिम रूप से विक्रय हस्तान्तरण नहीं करने व वर्तमान खाते की यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया गया था उसे जारी रखा तथा पदमसिंह के 1/2 हिस्से तक जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त कर दी।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 23—11—2017 से रूष्ट होकर विपक्षी पदमसिंह द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 26—12—2017 को प्रस्तुत की, जो इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 30/2017 के रूप में दर्ज की गयी, जिसे हम आगे प्रथम अपील कहेंगे। इसी प्रकार उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा अपील दिनांक 15—01—2018 को प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 4/2018 के रूप में दर्ज की गयी, जिसे हम आगे द्वितीय अपील कहेंगे।

उक्त दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 73/2015 में पारित निर्णय दिनांक 23—11—2017 के विरूद्ध प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 द्वारा अलग—अलग प्रस्तुत की गयी है, दोनों ही अपीलों में पक्षकारान एवं विषय वस्तु समान होने से तथा दोनों अपील अधिनस्थ न्यायालय के एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक—एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर प्रथम अपील संख्या 30/2017 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से

वकील श्री हुकमसिंह देवड़ा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में सर्वप्रथम हम प्रथम अपील संख्या 30/2017 में निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 चतरसिंह की पुत्री नहीं है तथा विवादित भूमि से उसका कोई संबंध नहीं है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 80 दी.प्र. सं. के तहत विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 को नोटिस नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया है तथा कब्जे बाबत् भी किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है। दौराने कार्यवाही वकील अपीलान्ट द्वारा बक्षीसनामा व विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं, जिन्हें रेकार्ड पर रखा गया।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह प्रकट आया कि विवादित भूमियां चतरसिंह जी के नाम दर्ज रेकार्ड थी। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/विपक्षी पदमसिंह द्वारा यह उजर लिया गया है कि भूमियां मौरूसी थी तथा चतरसिंह के सोल कोपार्सनर के रूप में यह भूमियां उसे प्राप्त हुई हैं, जबकि अपील में उसके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गया हैं तथा बहस में कथन किया गया है (हालांकि अपील मीमों में कहीं नहीं कहा गया है) कि यह भूमियां चतरसिंह की स्वअर्जित थी तथा उक्त स्वअर्जित भूमियों का बक्षीसनामा भी चतरसिंह को प्राप्त हुआ था तथा उसने यह भूमियां क्रय भी की थी, तद्नुसार बक्षीसनामे व विक्रय पत्र के आधार पर यह भूमियां चतरसिंह की स्वअर्जित है तथा उनके द्वारा पदमसिंह के पक्ष में वसीयत की गयी है।

आश्चर्य जनक रूप से देखने लायक तथ्य यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में वह उक्त भूमियां मौरूसी होना बताता है तथा मौरूसी भूमियों के आधार पर अपने आप को सोल कोपार्सनर होना बताता है, वहीं अपील मीमों में इस बाबत् कोई कथन नहीं किया गया है, जबकि दौराने बहस जो

दस्तावेज उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर वह यह प्लीडिंग लेता है कि भूमियां चतरसिंह की स्वअर्जित थी तथा उनके द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत की गयी है। हालांकि वसीयत अपंजीकृत है तथा वसीयत की साक्षी लोगों के शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, तद्नुसार इस स्तर पर वसीयत को प्रमाणित माने जाने का कोई आधार नहीं है। चतरसिंह द्वारा पदमसिंह के पक्ष में वसीयत वर्ष 2006 में की गयी है, जब हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रचलित था, तद्नुसार प्रकरण में चतरसिंह की पुत्री का आवश्यक रूप से हक अधिकार बनता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में सुस्पष्ट रूप से यह वर्णित किया है कि मूलवाद में इनकम टैक्स की फोटो प्रति एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमाण पत्र पेश किये गये हैं, तद्नुसार इस स्तर पर यह प्रमाणित नही माना जा सकता कि प्रार्थीया प्रभा कंवर चतरसिंह की पुत्री नहीं हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हालांकि अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तथ्यों पर विवेचन नहीं किया गया है, परन्तु भूमियां स्पष्ट रूप से चतरसिंह के नाम दर्ज रेकार्ड थी तथा बकौल अपीलान्ट/विपक्षी यह भूमियां चतरसिंह की स्वअर्जित थी, तद्नुसार पुत्री होने के नाते हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण हम प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में पाते हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया के 1/2 हक हिस्से तक प्रकरण मानकर उसके हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं एवं तद्नुसार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त भी प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में रहते हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने हालांकि अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तथ्यों पर विवेचन नहीं किया गया है, लेकिन भूमियां चतरसिंह के नाम दर्ज रेकार्ड होने के आधार पर पुत्री का 1/2 हिस्सा मानते हुए उसके हक हिस्से तक प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं, तद्नुसार प्रथम अपील संख्या 30/2017 सारहीन होने से खारिज की जाती है।

जहां तक द्वितीय अपील संख्या 4/2018 का प्रश्न है, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। प्रकरण में हमारे अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड एवं समायत

शुदा बहस पर मनन किया गया, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलान्ट/प्रार्थीया प्रभा कंवर द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए यह उजर लिया कि विवादित भूमियों का विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है, यदि रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी भूमियों में अपना 1/2 हिस्सा मानकर भूमियां का विक्रय हस्तान्तरण कर देता है तो प्रार्थीया को अशोधनीय क्षति होगी।

→ हमारे द्वारा द्वितीय अपील के सन्दर्भ में यह पाया गया कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थीया की मांग है कि भूमियों में उसका 1/2 हक हिस्सा है तथा उसके 1/2 हक हिस्से से ज्यादा की मांग उसके द्वारा नहीं की गयी है। अर्थात रेस्पोन्डेन्ट पदमसिंह के 1/2 हिस्से पर भी अपीलान्ट/प्रार्थीया उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाहती है, जिसकी कोई न्यायिक अथवा विधिक उपादेयता नहीं है, क्योंकि इससे रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी के हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा, तद्नुसार प्रार्थीया/अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष किसी भी प्रकार से औचित्य पूर्ण नहीं है। अतएवं द्वितीय अपील संख्या 4/2018 भी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

उपरोक्तानुसार प्रथम एवं द्वितीय दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–11–2017 यथावत रखा जाता है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–09–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर